दिनांक 14.09.2021
प्रेस विज्ञप्ति 14/2021

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा साइबर क्राइम प्रशिक्षण कार्यक्रम के दिये गये दिशा निर्देश

श्री मुकुल गोयल, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी, कानपुर नगर, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम/महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन/यूपी–112, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, उ0प्र0 को साइबर क्राइम के अभियोगो के सफल अनावरण हेतु पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से साइबर क्राइम के सम्बन्ध में चरणबद्ध प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिये गये हैं।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा साइबर अपराध से पीड़ित व्यक्ति को अपेक्षित सहायता, समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने एवं साइबर क्राइम से सम्बन्धित अभियोगों का सफल अनावरण, विवेचनाओं का गुणवत्तापरक निस्तारण के साथ–साथ संसाधनों के समुचित उपयोग आदि के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम के सम्बन्ध में प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत आगरा जोन में दिनांक 03.08.2021 को की गयी थी।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशानुसार आधारभूत साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 15.09.2021 से प्रारम्भ होकर 30.09.2021 तक आयोजित किया जायेगा।

- प्रशिक्षण के अनावरण सत्र में समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्मिलित होंगे।
- प्रत्येक जनपद से एक राजपत्रित अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रत्येक सत्र में प्रतिभाग करेंगे।

- **जूम सेशन के जरिये प्रशिक्षण कार्यक्रम में 15 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जायेगा। प्रशिक्षण सत्र में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।**
- प्रशिक्षण कार्यक्रम में थानों पर नियुक्त समस्त कम्प्यूटर आपरेटर, महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी, प्रत्येक थाने के 04 उ0नि0 एवं 04 आरक्षी के साथ—साथ रेंज साइबर थानो के समस्त स्टाफ द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।
- प्रशिक्षण सत्रों के दौरान विभिन्न तिथियों में साइबर क्राइम से सम्बन्धित निम्नलिखित विषयों Introduction to Cyber crimes, Websites & Emails, Telecom Logs, Social Media, OSINT Investigations, Financial Frauds, Introduction to Ransomware, VOIP, Crypto Currency Crimes Investigation, First response to Victim in Cyber Crime, IT Act, CRPC, Evidence Act (LAW) Evidence Preservation, Query Session With Q&A, आदि पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जनपद बांदा/थाना चिल्ला

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा मय जिन्दा/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट की) आदि बरामद**

दिनांक 13/14.09.2021 को थाना चिल्ला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पपरेन्दा तिंदवारी मार्ग पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त विकास घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट की) व मोबाइल फोन बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा, प्रतापगढ़ के विभिन्न थानो पर हत्या का प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्रीय स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिल्ला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी नौनिया मोहला थाना कोतवाली जनपद बांदा।

<u>बरामदगी</u>

1—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

2— 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट की)।

3— मोबाइल फोन।

<u>जनपद बरेली/थाना आंवला</u>

- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 82 हजार 800 रूपये नगद**
- **चोरी के 05 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कब्रिस्तान के पास से चेकिंग के दौरान 04 शातिर अभियुक्तों 1—अभ्युदय उर्फ किट्टू 2—मोविन 3—सचिन 4—दानिश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 82 हजार 800 रूपये नगद, चोरी के 05 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.06.2021 को थाना आंवला क्षेत्रान्तर्गत चोरी की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे, गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, मोबाइल फोन आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना आंवला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—अभ्युदय उर्फ किट्टू निवासी अतरछेडी थाना विशारतगंज जनपद बरेली।

2—मोविन निवासी मो0खेडा कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली।

3—सचिन निवासी मो0लठैता कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली।

4—दानिश निवासी मो0गौसिया चौक कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी के 82 हजार 800 रूपये नगद।

2—चोरी के 05 मोबाइल फोन।

3—01 मोटर साइकिल आदि।

<u>जनपद बिजनौर/थाना नगीना देहात</u>

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 09 बण्डल तार**
- **तार काटने के उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस**
- **01 चार पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2021 की रात्रि थाना नगीना देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चमरू नेवादा जंगल के पास से 04 शातिर अभियुक्तों 1—सोनू 2—परवेज 3—तसलीम उर्फ मुन्ने 4—माजिद उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 09 बण्डल तार, तार काटने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस, 01 चार पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सोनू के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 21 अभियोग, अभियुक्त परवेज के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग, अभियुक्त तसलीम उर्फ मुन्ने के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में

चोरी आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त माजिद उर्फ भूरा के विरूद्ध जनपद बिजनौर के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सोनू निवासी तिमरपुर थाना मण्डावर जनपद बिजनौर, हालपता हिमालयन कालोनी कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

2—परवेज निवासी मो0काजीयन कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

3—तसलीम उर्फ मुन्ने निवासी मो0गुलजार नगर कस्बा जलालाबाद थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

4—माजिद उर्फ भूरा निवासी नई बस्ती पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

बरामदगी

1—चोरी के 09 बण्डल तार।
2—तार काटने के उपकरण।
3—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस।
4—01 चार पहिया वाहन आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना खुर्जानगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 36 किलोग्राम तांबे का तार**
- **चोरी की 01 विद्युत मोटर**
- **चोरी करने के उपकरण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 13.09.2021 की रात्रि थाना खुर्जानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुण्डाखेड़ा चौराहे के पास चेकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों 1—नाकिर 2—ईशाक 3—इस्लाम 4—नसरूदीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से चोरी के 36 किलोग्राम तांबे का तार, चोरी की 01 विद्युत मोटर, चोरी करने के उपकरण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर, अलीगढ़ आदि के विभिन्न थानो में चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद तार, मोटर आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खुर्जानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नाकिर निवासी मुकेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2—ईशाक निवासी मुकेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

3—इस्लाम निवासी धमैडा अड्डा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

4—नसरूदीन निवासी मुकेड़ा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—चोरी के 36 किलोग्राम तांबे का तार।
2—चोरी की 01 विद्युत मोटर।
3—चोरी करने के उपकरण।
4—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस आदि।

जनपद अयोध्या/थाना कोतवाली बीकापुर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **05 हजार रूपये नगद**
- **01 पिस्टल मय मैगजीन, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 14.09.2021 को थाना कोतवाली बीकापुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम निधियावां के पास चेकिंग के दौरान

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर की गयी फायरिंग में आरक्षी मुकेश कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—विजय 2—दिनेश घायल हो गये, जिन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 05 हजार रूपये नगद, 01 अवैध पिस्टल मय मैगजी, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विजय के विरूद्ध जनपद गोण्डा, अयोध्या, देवरिया के विभिन्न थानो पर लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि 11 अभियोग व अभियुक्त दिनेश के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बलरामपुर अयोध्या, लखनऊ आदि के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, नकबजनी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बीकापुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विजय निवासी झपवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

2—दिनेश निवासी दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1—05 हजार रूपये नगद।

2—01 अवैध पिस्टल मय मैगजी, 03 जीवित, 03 खोखा कारतूस।

3— 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद गोण्डा /थाना कोतवाली नगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 11 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 14.09.2021 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 वाहन चोरों 1–राहुल 2–अनुराग 3–राजेश कुमार 4–अमित उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिलें, 01 अवैध तमंचा 12 मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के वाहन चोर है, जिनके द्वारा जनपद गोण्डा, बलरामपुर व जनपद अयोध्या के विभिन्न थाना क्षेत्रों से दो पहिया वाहनों की चोरी कर उनके नम्बर प्लेट बदल कर अलग अलग स्थानों पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राहुल निवासी भवानीपुर राजापुर पसरौरा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

2–अनुराग निवासी मुडफोरवा भवानीपुर थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

3–राजेश कुमार निवासी मेघवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

4–अमित उर्फ गोलू निवासी कोटिया बनकसिया थाना मनिकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी की 11 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 12 मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **04 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) की 700 ग्राम अवैध स्मैक**
- **800 ग्राम अवैध कट**
- **09 लाख रूपये नगद**
- **01 स्वीफ्ट कार फर्जी नम्बर प्लेट की बरामद**

दिनांक 13.09.2021 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भाउपुर पुलिया से 04 मादक पदार्थ तस्कर 1—समीर 2—मोबीन 3—सुहैल 4—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 01 करोड़ रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) की 700 ग्राम अवैध स्मैक, 800 ग्राम अवैध कट, 09 लाख रूपये नगद, 01 स्वीफ्ट कार फर्जी नम्बर प्लेट की बरामद हुई।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—समीर निवासी मेहलनवाली थाना सदर, यमुनानगर।

2—मोबीन निवासी दूमझेडा थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

3—सुहैल निवासी मोहल्ला आतिशबाजान शाहजहॉपुर थाना मिरानपुर कटरा, शाहजहॉपुर।

4—अभियुक्ता

बरामदगी

1—लगभग 01 करोड़ रूपये (अर्न्तराष्ट्रीय कीमत) की 700 ग्राम अवैध स्मैक, अवैध कट 800 ग्राम।

2— 09 लाख रूपये नगद।

3— 01 स्वीफ्ट कार फर्जी नम्बर प्लेट।

जनपद खीरी/थाना फरधान

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 07 लाख 96 हजार 400 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन बरामद**

दिनांक 14.09.2021 को थाना फरधान, क्राइम ब्रान्च व थाना साकेत(दिल्ली)की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त राजू उर्फ शेर बहादुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 07 लाख 96 हजार 400 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा थाना साकेत(दिल्ली) क्षेत्र से चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना साकेत(दिल्ली) पर अन्तर्गत धारा 381/411 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे।

इस सम्बन्ध में थाना फरधान पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू उर्फ शेर बहादुर निवासी ग्राम इसमा मालारानी थाना दोहली जिला लुंबनी, नेपाल।

बरामदगी

1—चोरी के 07 लाख 96 हजार 400 रूपये नगद।
2— 03 मोबाइल फोन।

➢ **जनपद फतेहपुर/थाना मलवां (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 25—25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—3 जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर पंजीकृत अभियोग अन्तर्गत धारा 302/307 भादवि में अभियुक्त 1—जगरूप 2—राजाराम 3—सूर्यभान को आजीवन कारावास की सजा व 25—25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एस0टी0एफ0–लोगों के घरों में घुसकर चोरी की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर घटना करने वाले घुमन्तू अपराधिक पारदी गैग के रू0 50,000/– के 01 इनामी अभियुक्त मेहरबान सहित 03 अपराधियों को एसटीएफ उ0प्र0 ने किया गिरफ्तार।

दिनांकः 13–09–2021 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को लोगों के घरों में घुसकर चोरी की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफश कर घटना करने वाले घुमन्तू आपराधिक पारदी गैग के रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त **मेहरबान** सहित 03 अपराधियो को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः-

1– मेहरबान पुत्र शंकर निवासी बिला खेडी थाना धरनाबदा, जनपद गुना, मध्य प्रदेश।

2– आर्यमान उर्फ कालेखान पुत्र शंकर निवासी बिला खेड़ी, थाना धरनाबदा गुना, मध्य प्रदेश ।

3– अजय पुत्र ढेवला निवासी बिला खेडी थाना धरनाबदा गुना मध्य प्रदेश ।

कुल बरामदगीः-

1– 02 अदद तमंचे 315 बोर ।

2– 04 अदद कारतूस 315 बोर जिन्दा ।

3– 01 अदद चाकू

घटनास्थलः दिनांक 13–09–2021, समय–20.50 बजे, सेक्टर 101 मेट्रो स्टेशन से थोडा आगे, सडके के किनारे के पास, थाना सेक्टर 49, जनपद गौतमबुद्धनगर।

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को पुरस्कार घोषित अपराधियों एवं घुमन्तु समुदाय के अपराधिक गिरोह के अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त के क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा के पर्यवेक्षण में श्री विनोद सिंह सिरोही, पुलिस उपाधीक्षक, एवं श्री देवेन्द्र कुमार,

एस0टी0एफ0, फील्ड यूनिट नोएडा के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सचिन कुमार एवं श्री अवध नारायण चौधरी, उप निरीक्षक द्वारा टीम गठित कर घूमन्तु समुदाय के पुरस्कार घोषित अपराधियों तथा संगठित गैंग से सम्बन्धित वांछित अपराधियों के सम्बन्ध में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 13—09—2021 को अभिसूचना संकलन के दौरान अभिसूचना संकलन के माध्यम से एस0टी0एफ0 फील्ड यूनिट नोएडा को सूचना प्राप्त हुई कि घुमन्तू अपराधिक जाति का पारदी गैंग गौतमबुद्धनगर में आया हुआ है, जो देशभर में घूम—घूम कर लोगों के घरों में घुसकर आपराधिक वारदात करता है, यह नोएडा के थाना—49 क्षेत्र में आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आया हुआ है, जिनमें एक पुरस्कार घोषित अपराधी मेहरबान भी है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त उक्त सूचना से प्रभारी निरीक्षक, सेक्टर—49, नोएडा को अवगत करया गया। तदोपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा टीम द्वारा गौतमबुद्धनगर पुलिस के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुॅचकर सुनियोजित ढ़ंग से घेराबन्दी एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए उपरोक्त तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से संयुक्त पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आये है कि गिरफ्तार अभियुक्त पारदी घूमन्तू जनजाति से हैं, जो पूरे देश में घूम—घूम कर रात्रि में कटर व पेचकस की मदद से ग्रिल खोलकर, ए0सी0 के रास्ते अथवा दरवाजा खोलकर चुपचाप घरों में प्रवेश कर जाते हैं और बेहद चपलता एवं बिना आवाज किये घरो से जेवरात एवं पैसों की चोरी करते हैं और जिन कमरों में गृहस्वामी या परिवार के अन्य सदस्य सो रहे होते हैं उन कमरों की बाहर से कुण्डी या चटकनी आदि लगा देते हैं। यदि जाग हो जाती है तो भाग जाते हैं। प्रायः यह लोग ज्यादातर ऐसे क्षेत्रों में चोरियॉ करने जाते हैं जहॉ रात्रि में हल्का अंधेरा या सुनसान स्थान होता है तथा घरो में घुसने से पहले घरो में कंकड़/पत्थर फेककर यह पता लगा लेते हैं कि घर में कोई जाग तो नही रहा है।

अभियुक्त मेहरबान ने पूछताछ पर बताया कि उसकी उम्र करीब 26 साल है। वह वर्ष– 2001 से अपराध कर रहा है तथा वर्ष– 2019 में उसके द्वारा अपने गिरोह के गिर्राज उर्फ गिरोज पुत्र शेरू निवासी बिलाखेडी थाना धरनावदा जिला गुना, मध्य प्रदेश (जो उसक गॉव का ही रहने वाला है) एवं सब्बीत पुत्र दीपक उर्फ दीपा निवासी कनैरा, चक्की हडडी मिल, जिला गुना मध्य प्रदेश, जिनको एस0टी0एफ0 द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, के साथ मिलकर जनपद गौतमबुद्धनगर के थाना सेक्टर– 49 क्षेत्र में कई घरों में घुसकर चोरियॉ करने की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूर्व में वह (मेहरबान) जनपद गुना, सूरत गुजरात, सोनीपत हरियाणा एवं झून्झनू राजस्थान से जेल भी जा चुका है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त मेहरबान उपरोक्त की गिरफ्तारी पर थाना सेक्टर–49 नोएडा गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत अ0स0ं 1060/19 धारा 307 भादवि, अ0स0ं 430/19 धारा 380 भादवि, अ0स0ं 874/19 धारा 457/380/511 भादवि, अ0स0ं 865/19 धारा 457/380 भादवि तथा अ0स0ं 932/19 धारा 457/380 भादवि के अभियोग में अपर पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था, गौतमबुद्धनगर के स्तर से रूपया 50,000/– का पुरस्कार घोषित हो रखा था।

अभियुक्त आर्यमान उर्फ काले खान ने पूछताछ पर बताया कि वह मेहरबान का सगा भाई है और गैग के साथ मिलकर एन0सी0आर0 क्षेत्र में बन्द घरों में चोरियॉ करता है तथा वह वर्ष– 2020 में पंजाबी बाग, दिल्ली से चोरी के केस जेल जा चुका है।

1– अभियुक्त मेहरबान, उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः–

क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	210/01	307/147/148/336/323/427/353 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट	धरनाबदा	गुना, मध्य प्रदेश
2	287/03	25बी आर्म्स एक्ट	धरनाबदा	गुना, मध्य प्रदेश
3	113/03	457/380 भादवि	अठवालाइन	सूरज गुजरात
4	238/04	307 भादवि	धरनाबदा	गुना, मध्य प्रदेश
5	200/05	457/380 भादवि	क्रिश्चियन गंज अजमेर	राजस्थान
6	210/05	457/380 भादवि	क्रिश्चियन गंज अजमेर	राजस्थान

7	19 / 06	307 / 294 / 452 / 147 / 148 / 149 / 427 / 324 / 325 भादवि	धरनाबदा	गुना, मध्य प्रदेश
8	50 / 06	323 / 504 भादवि	धरनाबदा	गुना, मध्य प्रदेश
9	152 / 07	457 / 380 भादवि	उदयपुर झुनझूनू	राजस्थान
10	151 / 07	457 / 380 भादवि	उदयपुर झुनझूनू	राजस्थान
11	133 / 07	457 / 380 भादवि	सीहोर	मध्य प्रदेश
12	135 / 10	457 / 380 भादवि	सुल्तानपुर	कोटा राजस्थान
13	245 / 16	457 / 380 भादवि	सोनीपत	हरियाणा
14	1060 / 19	307 भादवि	सेक्टर—49	गौतमबुद्धनगर
15	430 / 19	380 भादवि	सेक्टर—49	गौतमबुद्धनगर
16	874 / 19	457 / 380 / 511 भादवि	सेक्टर—49	गौतमबुद्धनगर
17	865 / 19	457 / 380 भादवि	सेक्टर—49	गौतमबुद्धनगर
18	932 / 19	457 / 380 भादवि	सेक्टर—49	गौतमबुद्धनगर
19	227 / 20	323 / 194 / 506 / 34 भादवि	धरनाबदा	गुना मध्य प्रदेश
20	950 / 21	3 / 25 आर्म्स एक्ट	सेक्टर 49	गौतमबुद्धनगर

2— अभियुक्त आर्यमान उर्फ कालेखान, उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः—

क0सं0	**मु0अ0सं0**	**धारा**	**थाना**	**जनपद**
1	956 / 20	392 / 34 भादवि	पंजाबी बाग	पश्चिमी दिल्ली
2	227 / 20	323 / 294 / 506 / 34 भादवि	धरनाबदा	गुना मध्य प्रदेश
3	951 / 21	3 / 25 आर्म्स एक्ट	सेक्टर 49	गौतमबुद्धनगर

गिरफ्तार उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध थाना सेक्टर—49, जनपद गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0: 950 / 21 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट बनाम मेहरबान, अ0सं0 951 / 21 धारा 3 / 25 आर्म्स एक्ट बनाम आर्यमान उर्फ कालेखान, अ0स0ं 952 / 21 धारा 4 / 25 आर्म्स एक्ट बनाम अजय, उपरोक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत होकर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः दिनांक 12—01—2017 को जीवन ज्योति हॉस्पिटल प्रयागराज के मालिक डॉ0 अश्वनी कुमार बंसल (ए0के0 बंसल) की उनके हॉस्पिटल के चैम्बर में गोली मारकर हत्या की साजिश रचने वाला व जनपद प्रयागराज से रुपये 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी मो0 अबरार खान एस0टी0एफ0 द्वारा गिरफ्तार।

दिनांक 14—09—2021 को एसटीएफ उ0प्र0 को प्रयागराज के बहुचर्चित जीवन ज्योति हॉस्पिटल के मालिक डॉ0 अश्वनी कुमार बंसल (ए0के0 बंसल) की दिनांक 12—01—2017 को गोली मारकर निर्मम हत्या कराकर सनसनी फैलाने वाले रू0 50,000/— के पुरस्कार घोषित अपराधी मो0 अबरार खान को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्त का विवरणः—

मो0 अबरार खान पुत्र मो0 अब्दुल रफीक खान निवासी आजादनगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

कुल बरामदगीः

1. 2000/— रूपये नगद।
2. 02 चादर।
3. 01 अदद लोवर व 01 अदद टी—शर्ट।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः—

रामबाग रेलवे क्रासिंग, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे, प्रयागराज। दिनांक 14/09/2021, समय 16—10 बजे।

विगत कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के जनपदों में वांछित पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12—01—2017 को समय करीब शाम 07 बजे जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डॉ0 अश्वनी कुमार बंसल हॉस्पिटल की ओपीडी में मरीज देख रहे रहे थे कि सामने वाले गेट से अचानक अन्दर आकर दो व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ कई राउण्ड फायर किये और भाग निकले, जिसमें हॉस्पिटल में इलाज के दौरान डॉ बंसल की मृत्यु हो गयी। इस सनसनीखेज घटना के सम्बन्ध में डॉ बंसल के छोटे भाई प्रवीण कुमार बंसल द्वारा थाना कीडगंज, जनपद प्रयागराज में मु0अ0सं0 28/2017 धारा 302 भा0द0वि0 का दर्ज कराया गया था।

उक्त मुकदमें के अनावरण हेतु सतत प्रयास किये जा रहे थे, जिसके क्रम में श्री दीपक सिंह पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षणाधीन श्री हेमन्त भूषण सिंह, निरीक्षक के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 मुख्यालय द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के माध्यम से आज दिनांक 14—09—2021 को सूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 28/2017 धारा 302 भादवि0 व 7 सीएलए एक्ट थाना कीडगंज जनपद प्रयागराज में वांछित रू0 50,000/— का पुरस्कार घोषित अपराधी मो0 अबरार खान पुत्र मो0 अब्दुल रफीक खान निवासी उपरोक्त प्रयागराज में रामबाग रेलवे क्रासिंग, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे खड़ा है। यदि शीघ्रता की जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर निरीक्षक हेमन्त भूषण सिंह व उनकी टीम, जो प्रयागराज में अभिसूचना संकलन में भ्रमाणशील थी तत्काल टीम को लेकर रवाना हुए और

रामबाग रेलवे क्रासिंग, फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे खड़े व्यक्ति को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो एसटीएफ टीम को देखते ही वह तेजी से भागा जिसे एसटीएफ टीम पुलिस बल की मदद से आवश्यक बल प्रयोग कर पकड़ लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदगी हुई।

विस्तृत पूछताछ पर मो0 अबरार खान उपरोक्त ने बताया कि वह के0पी0 इंटर कालेज प्रतापगढ़ से पढ़ाई किया है। पढ़ाई तथा क्रिकेट मैच खेलने एवं जमात के दौरान मेरी दोस्ती शोएब व भुलियापुर निवासी यासिर व जावेद उर्फ़ जब्बा और घरौरा, लालगंज निवासी मक़सूद उर्फ़ जैद से हुई, जहाँ हम लोगों का एक ग्रुप बन गया। मार्च 2017 में यासिर की हुई हत्या के सम्बन्ध में पूंछने पर बताया कि जीवन ज्योति हास्टिल के डा0 बंसल ने अपने लड़के के एडमीशन के लिए रूपये 55 लाख आलोक सिन्हा को दिये थे, लेकिन आलोक सिन्हा ने उनके लड़के का एडमीशन न कराकर पैसे हड़प लिये थे। जिसकी वजह से डा0 बंसल ने आलोक सिन्हा के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा लिखवाकर जेल भिजवा दिया था। डा0 बंसल द्वारा आलोक सिन्हा के विरूद्ध अन्य राज्यों में भी पंजीकृत मुकदमों में पैरवी की जाने लगी, जिनके प्रयास से ही कर्नाटक के एक मुकदमें में वारण्ट–बी बनवाकर कर्नाटक भी पुलिस ले गयी थी। प्रयागराज की नैनी जेल में पहले से दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा, जुल्फिकार उर्फ तोता, गुलाम रसूल मौजूद थे। यह सभी लोग 01 नम्बर सर्किल के बी–क्लास बैरक में निरूद्ध थे, और उसी बैरक में आलोक सिन्हा भी पहुंच गये। उसी बैरक में आलोक सिन्हा ने डा0 बंसल की हत्या कराने की बात किया, जिस पर दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर कटरा तैयार हो गये और दिलीप मिश्रा, अशरफ उर्फ अख्तर ने मेरे माध्यम से मकसूद उर्फ जैद, यासिर तथा शोएब से सम्पर्क किया और कहा कि डा0 बंसल की हत्या करनी है। जिसके एवज में रूपये 15 लाख नगद तथा रूपये 55 लाख बाद में मिलेंगे, जिसके लिए 15 लाख रूपये 02 पिस्टल तथा एक मोटर साईकिल मुझे उपलब्ध करायी गयी। 12 जनवरी 2017 को शाम करीब 07 बजे शोएब तथा यासिर व मकसूद मोटरसाइकिल से जीवन ज्योति हास्पिटल पहुंचे। मकसूद गाड़ी चला रहा था, जो हास्पिटल के सामने ही खड़ा रहा। शोएब व यासिर ने डा0 बंसल के चैम्बर में जाकर अपने–अपने पिस्टल से फायर करके उनकी हत्या कर दी और मकसूद के साथ उसी मोटरसाइकिल से फरार हो गये। घटना के बाद मक़सूद और यासिर के बीच में पैसे को लेकर झगड़ा हो गया, जिसपर शोएब व मक़सूद ने घटना के लगभग डेढ़ महीने बाद यासिर की हत्या कर दी, जिसमें मक़सूद पकड़ा गया लेकिन शोएब का नाम नहीं आया।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कीडगंज जनपद– प्रयागराज में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में दाखिल कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

———